भाग–6

महिलाओं के कल्याण के लिए योजनायें

(क) **राज्य योजनाएं**

(1) **नारी सेवा सदन**

State Homes

उद्देश्य 50 वर्ष से कम आयु की बेसहारा महिलाओं को आश्रय देकर उन्हे पुर्नवासित करना।

पात्रता बेसहारा, असहाय, पथ भ्रष्ट, परित्यक्त एवं ऐसी महिलाएं जो नैतिक खतरे में हों।

प्रवेश हेतु प्रकिया पात्र महिलाएं नारी सेवा सदन में प्रवेश पाने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर जिला कल्याण अधिकारी को आवेदन कर सकती हैं जो अपनी रिर्पोट सहित निर्देशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रवेश के लिए भेजेगें।

सहायता पात्र महिलाओं को सदन में निःशुल्क भोजन, आवास शिक्षा तथा प्रशिक्षण इत्यादि की सुविधाऐं दी जाती है। सदन छोडने के उपरान्त उन्हे 10,000/–रु0 की पुर्नवास सहायता या शादी के लिए पात्र महिलाओं को 11001/–रु0 का विवाह अनुदान दिया जाता है।

सम्पर्क–अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।

प्रदेश में संचालित नारी सेवा सदन मशोबरा (शिमला)